न्यायालय सिविल जज (जू०डि०),खलीलाबाद, स्थान–बस्ती

मूलवाद संख्या–225/02

रतन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

25–05–16

पत्रावली आज प्रार्थना–पत्र 6ग2 पर उभय पक्ष को सुनने के पश्चात आदेश हेतु नियत है।

प्रार्थना–पत्र 6ग2 प्रस्तुत कर वादी ने कथन किया है कि आराजी नं० 569 जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व परती की भूमि रही है, जो वादी ने जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व सम्बन्धित जमीन्दार से नजराना देकर आराजी नं० 569 का 0–1–10 रकबा जानिव उत्तर हासिल किया था और उसमें फूस का मड़हला बनाकर प्रयोग करता रहा बाद में पोख्ता बना लिया और वर्तमान में उसमें राइस मिल, स्पेलर वो आटा चक्की भी लगाया है। वाद पत्र के नक्शा नजरी में प्रदर्शित भूमि अ,ब,स,द पर वादी का कब्जा जमीन्दारी उन्मूलन के पहले से चला आ रहा है। दौरान चकबन्दी आराजी नं० 569 व 567 का रकबा मिलाकर आराजी नं० 189/0–14–3 कायम करके पेड़ लगाने के लिए भूमि को सुरक्षित कर दिया गया है और दोवारा चकबन्दी भूमि पर आराजी नं० 189 का नए नं० 315/0.152 कायम करके वृक्षारोपड़ हेतु दर्ज कागजात किया गया परन्तु गलती से आराजी नं० 569 का कोई रकबा मौके पर वादी की आबादी होने के बावजूद आबादी दर्ज नहीं किया गया जिसकी कोई जानकारी उस वक्त वादी को नहीं रही और न ही वादी ने आराजी नं० 569 में अपनी आबादी दर्ज कराने की कोई कार्यवाही की। वादी द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि जरिए अस्थायी व्यादेश प्रतिवादीगण को मना कर दिया जाए कि वह वादी के शान्तिपूर्ण कब्जा दखल ऊपर भूखण्ड अ,ब,स,द वाका अन्दर आराजी हाल नं० 315 साविक नं० 569 ग्राम रानीपुर, तप्पा– कपरी महसो, परगना– महुली पश्चिम, तहसील व जिला बस्ती में कोई हस्तेक्षेप न करे और न उसमें स्थित वादी के मकान व मशीन आदि को ध्वस्त करे।

वादी द्वारा सूची 10ग के माध्यम से रजिस्ट्री रसीद, नोटिस व खतौनी दाखिल किया गया है। सूची 24ग द्वारा जो० च० आकार पत्र 41 खतौनी कागज सं० 25ग, जो०च० आकार पत्र 45 कागज सं० 26ग, जो०च० आकार पत्र 41 कागज सं० 27ग, नकल खतौनी कागज सं० 28ग की सत्यप्रतिलियां वादी द्वारा दाखिल की गईं।

आपत्ति 40ग प्रस्तुत कर विपक्षी ने कथन किया है कि विवादित भूमि गाटा सं० 315 रकबा 0.153 हे० सार्वजनिक प्रयोजन के लिए वृक्षारोपड़ हेतु सुरक्षित

सरकारी भूमि है। वादी द्वारा विवादित भूमि में जुज भाग पर अवैध कब्जा किया गया था जिसके सम्बन्ध में तहसील प्रशासन द्वारा अवैध कब्जा हटाने व नोटिस व जुर्माना लगाने हेतु दिनांक

11–03–02 को नोटिस वादी को दिया गया था जिससे बचने के लिए वादी ने आधारहीन तथ्यों पर यह वाद प्रस्तुत किया है। परन्तु वादी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही होकर वादी के विरुद्ध बेदखली व जुर्माना का आदेश दिनांक 25–03–09 को हो चुका है। प्रार्थना–पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

विपक्षी की ओर से सूची 47 ग के माध्यम से जो०च० आकार पत्र 41 कागज

सं० 48 ग व जो०च० आकार पत्र 45 कागज सं० 49 ग की नकलें व खसरा 50 ग दाखिल किया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना–पत्र 6 ग 2 के निस्तारण में 3 तत्वों को देखा जाना आवश्यक है–

1– प्रथम दृष्टतया वाद।

2– सुविधा का सन्तुलन।

3– अपूर्णनीय क्षति।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र व 6 ग 2 प्रार्थना–पत्र में इस आशय का कथन किया गया है कि वादी ने जमीन्दारी के पूर्व आराजी नं० 569 जो कि परती भूमि थी व जमीन्दार की मिलकियत थी, उसे जमीन्दार से नजराना देकर 0–1–10 रकबा जानिव उत्तर हासिल किया गया है उसमें वादी ने अपना मड़हला रखा बाद में पोख्ता बनाकर राइस मिल व आटा चक्की लगाया। उल्लेखनीय है कि वादी ने कहीं भी इस आशय का वर्णन नहीं किया है कि उसने विवादित भूमि नं० 569 का रकबा 0–1–10 किस जमीन्दार से तथा किस तिथि को व कितने रु० नजराना देकर प्राप्त किया था। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई इजाजतनामा या कब्जा दखल प्रपत्र जो कि उसे कथित जमीन्दार द्वारा दिया गया हो, नहीं प्रस्तुत किया गया है। सूची 24 ग के माध्यम से प्रस्तुत जो०च० आकार पत्र 41 खतौनी कागज सं० 25 ग में नई गाटा सं० 315 रकबा 0.152 पेड़ लगाने की भूमि के रूप में दर्ज कागजात है। कागज सं० 26 ग में गाटा सं० 189 भी पेड़ लगाने की भूमि के रूप में दर्ज कागजात है। कागज संख्या 27 ग जो०च० आकार पत्र 41 में गाटा सं० 189 पेड़ लगाने की बंजर के रूप में दर्ज है। वादी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त प्रपत्रों में कहीं भी गाटा सं० 569, वाका नं० 189 तथा हाल नं० 315 पर किसी प्रकार के आबादी दर्ज होने विषयक इन्द्राज नहीं

है। वादी द्वारा प्रथम चकबन्दी के दौरान या बाद की चकबन्दी के दौरान विवादित भूमि में आबादी दर्ज कराने के सन्दर्भ में या चकबन्दी कार्यवाही से बाहर कराने के सन्दर्भ में किसी प्रकार का कोई आवेदन दिया गया हो तथा सक्षम चकबन्दी न्यायालय द्वारा उस पर कोई आदेश निर्गत किया गया हो इस विषय पर कोई प्रलेख दाखिल नहीं किया है। अर्थात यदि चकबन्दी कार्यवाही के दौरान किसी प्रकार की गलत एन्ट्री प्रपत्रों में हो गई हो तो उसके दुरुस्तीकरण के सन्दर्भ में वादी द्वारा कोई कार्यवाही किया गया हो ऐसा कोई प्रपत्र वादी ने प्रस्तुत नहीं किया है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत विधि व्यवस्था **राम दुलारे बनाम रामचरन, 1977 आर०डी० पेज नं० 108–112** प्रस्तुत मामले के तथ्यों और प्रपत्रों के सन्दर्भ में आकर्षित नहीं है। अतः उपरोक्त चर्चा के आधार पर न्यायालय का यह मत है कि वाद प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं है।

जहां तक सुविधा के सन्तुलन का प्रश्न है सूची 24ग के माध्यम से प्रस्तुत जो०च० आकार पत्र 41, जो०च० आकार पत्र 45 व खतौनी में विवादित भूमि के सन्दर्भ में वादी की आबादी इत्यादि होने का कोई इन्द्राज प्रपत्रों पर दर्ज नहीं है। कमीशन रिपोर्ट कागज
सं० 33ग व मानचित्र 34ग तथा फील्ड बुक 35ग न्यायालय के आदेशानुसार साक्ष्याधीन
पुष्ट है परन्तु वादी की ओर से दाखिल प्रपत्रों में कहीं भी आबादी दर्ज होने का इन्द्राज न होने के
कारण तथा कोई सारवान साक्ष्य इस स्तर पर वादी द्वारा प्रस्तुत न किए जाने के कारण इस स्तर पर कमीशन रिपोर्ट का लाभ वादी को प्राप्त नहीं हो सकेगा। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में नहीं है।

जहां तक अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है विपक्षी की ओर से सूची 47ग के माध्यम से दाखिल जो०च० आकार पत्र 41 में नई गाटा सं० 315 पेड़ लगाने की भूमि के रूप में दर्ज है तथा कागज सं० 49ग जो०च० आकार पत्र 45 में गाटा सं० 315 रकबा 0.152 वृक्षारोपड़ के लिए संरक्षित भूमि के रूप में दर्ज कागजात है। विपक्षी की ओर से प्रस्तुत खसरा कागज सं० 50ग में गाटा सं० 315 रकबा 0.152 हे० सम्पूर्ण वृक्षारोपड़ हेतु संरक्षित दर्ज भूमि है। इस प्रकार विपक्षी की ओर से भी दाखिल प्रपत्रों में कहीं भी वादी की आबादी विवादित भूमि पर होने का इन्द्राज नहीं है। अतः यदि वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा निर्गत नहीं किया गया तो उसे अपूर्णनीय क्षति होने की भी सम्भावना नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थना–पत्र 6ग2 निरस्त किए जाने

योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र 6 ग 2 निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते वाद बिन्दु विरचन दिनांक 04–08–16 को पेश हो।

सिविल जज(जू०डि०)
खलीलाबाद,स्थान–बस्ती